

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक—

/2015

निगरानी 962-I-15

विनोद भागी एस.

द्वारा आज दि

मार्त

22-4-15

1. गयादीन पुत्र गटोला गड़रिया
2. हल्कैया पुत्र गटोला गड़रिया
3. नथुवा पुत्र मथुरा गड़रिया
4. रामदयाल पुत्र गटोला गड़रिया

सभी निवासीगण—ग्राम सीगोन, हाल निवासी
ग्राम हिलगुवां तहसील व जिला छतरपुर(म.प्र.)

—आवेदकगण

बनाम

महेश कुमार पुत्र लक्ष्मणदास कुम्हार, निवासी—
ग्राम हिलगुवां तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

—अनावेदक

विनोद भागी
35/30/2
ग्वालियर
22-4-2015

**न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण
क्रमांक-68/अपील/अ-19/2013-14 में पारित आदेश
दिनांक 27/02/2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व
संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि, न्यायालय श्रीमान, नायब तहसीलदार महोदय छतरपुर, प्रभारी क्षेत्र—ईशानगर ने अपने राजस्व प्रकरण क्रमांक-77/अ-19/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 26/08/1998 में भूमि खसरा नंबर-88/2, 115, 116/2 रकवा क्रमशः 0.235, 0.283, 0.486 आरे, कुल किता-03,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-862-एक/2015

जिला छतरपुर

गयादीन विरूद्ध महेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 68/अपील/अ-19/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27-02-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p>3</p>	<p>(आर.के. जिन) 25/2/2019 सदस्य</p>